# न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

**पीठासीन अधिकारी** : **श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0**
**राजस्व प्रा0 पत्र सं0** : 78/2019 (2646/2016)
**GCMS NO.** : **2016/00016**

**–:: प्रार्थीगण ::–**

1. भीकापुरी पुत्र मांगूपुरी
2. हरिशपुरी पुत्र मांगूपुरी
3. घेवरपुरी पुत्र मांगूपुरी
4. माणकपुरी पुत्र मांगूपुरी
5. इन्द्रादेवी पुत्री मांगूपुरी
6. सुखदेवपुरी पुत्र कुन्दनपुरी
7. चम्पापुरी पुत्र कुन्दनपुरी
8. कमलादेवी पत्नि सुखदेवपुरी
9. प्रेमदेवी पत्नी चम्पापुरी
10. संजूदेवी पत्नी धर्मपुरी
11. शांता पुत्री कुन्दनपुरी
12. गेंदा पुत्री कुन्दनपुरी
13. अंतर पुत्री कुन्दनपुरी
14. धर्मपुरी पुत्र कुन्दनपुरी

जातियान– गोस्वामी, निवासीगण– ग्राम आगेवा, तहसील– जैतारण, जिला– पाली, राज0।

**बनाम**

**–:: अप्रार्थीगण ::–**

1. भंवरपुरी पुत्र संतोकपुरी
2. सुरेशपुरी पुत्र संतोकपुरी
3. छोटीदेवी बेवा संतोकपुरी
4. चंचल पुत्री संतोकपुरी

जातियान– गोस्वामी (गुसाई), निवासीगण– ग्राम आगेवा, तहसील– जैतारण, जिला– पाली, राज0।

5. उपपंजीयन अधिकारी एवं तहसीलदार, जैतारण तहसील कार्यालय जैतारण जिला पाली।

**राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.**

**तारीख रजू: 23/09/2019**

उपस्थितः. 1. श्री महेन्द्र कुमार गुर्रा, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

**–:: निर्णय ::–** **दिनॉकः 26/08/2021**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा आगेवा पटवार हल्का आगेवा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र निमाज (वर्तमान भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र आगेवा) तहसील जैतारण में सायलान व गैरसायलान की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 230 खसरा संख्या 94 रकबा 23 बीघा 05 बिस्वा, खाता संख्या 24 खसरा संख्या 108 रकबा 18 बीघा, खाता संख्या 340 खसरा संख्या 285 रकबा 08 बीघा 06 बिस्वा, खाता संख्या 341 खसरा संख्या 110 रकबा 12 बी[illegible] बिस्वा, खाता संख्या 405 खसरा संख्या 120 रकबा 12 बीघा, खाता संख्या [illegible]6 खसरा संख्या 105 रकबा 03 बीघा 18 बिस्वा सभी बारानी दायमी आई हुई है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.02.17 16:00:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस, पत्थरगढी करके मुड्डे रोपकर कानूनी बंटवाडा नहीं हो रखा है तथा आपसी समझ से मौके पर अलग-अलग हिस्सा करके सायलान व गैरसायलान काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य शांतिपूर्वक लगातार करते आ रहे है। इस वर्ष भी सायलान ने कातीसरा की फसल बो रखी है। सायलान को हल ही में यह ज्ञात हुआ है कि गैरसायल भंवरपुरी व सुरेशपुरी, छोटीदेवी व चंचल बिना कृषि भूमि का कानूनी बंटवाडा कराये बाले-बाले वादग्रस्त कृषि भूमि का बेचान अन्य व्यक्तियों को करने पर आमादा है तब सायलान ने गैरसायल भंवरपुरी व सुरेशपुरी को दिनांक 07/07/2016 को कहा कि पहले समस्त खसरों की कृषि भूमि का सीमांकन व कानूनी बंटवाडा करा लो ताकि सबके अलग-अलग हिस्से दर्ज हो जायेंगे तो गैरसायल ने बंटवाडा कराने से इंकार कर दिया और उल्टे सायलान को धमकी दी कि कृषि भूमि का बेचान करके वे खरीदकर्ता का कब्जा सायलान की जमीन पर जबरन करवा देंगे। वादग्रस्त कृषि भूमि का कानूनी बंटवाडा नहीं हो जाता भूमि के प्रत्येक इंच भूमि पर सभी खातेदार, काश्तकारों का बराबर-बराबर हक, हिस्सा होकर कब्जा होता है। इसलिए भी गैरसायलान को वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवाडा करवाये बगैर भूमि का बैचान, हस्तान्तरण करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। तथ्यों, परिस्थितियों दस्तावेजात व मौके पर लगातार शांतिपूर्वक कब्जा काश्त की रूह से सायलान का बहुत ही मजबूत मामला प्रमाणित है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रत्येक दृष्टिकोण से सायलान के पक्ष में है।

प्रार्थना-पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ-पत्र पेश कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान इस आशय की जारी फरमावें कि प्रार्थना-पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित वादग्रस्त भूमि का गैरसायलान बेचान, हस्तान्तरण, रहन, गिरवी, दान आदि किसी अन्य व्यक्ति को नही करे, न कोई दस्तावेज तकमील कर पंजीयन करावे तथा गैरसायल संख्या 5 उपपंजीयन अधिकारी गैरसायलान् द्वारा प्रस्तुत ऐसे किसी दस्तावेज के पेश होने पर उसका पंजीयन नही करे तथा गैरसायलान सायलान के हक हिस्से की कृषि भूमि में से उनको जबरन बेदखल कर कब्जा नही करे एवं सायलान अपनी भूमि मे काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करे उसमे गैरसायलान किसी तरह की रोकटोक दयखलन्दाजी, अडचन, व्यवधान बाधा न तो स्वयं करे न परिवार के सदस्यो, रिश्तेदारो, नौकरो, हाली एजेन्ट आदि से करवावे मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक रोका जावें। उपरोक्त आशय का आदेश बहक सायलान विरूद्ध गैरसायलान् पारित फरमावें।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायल संख्या 2, 4 एवं 5 बावजूद नोटिसेज तामिल/सूचना व बार-बार आवाजें दिलाई जाने के बावजूद अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध इस पक्षीय कार्यवाही की गई। गैरसायल संख्या 1 व 3 को निरन्तर अवसर दिये जाने के बाद भी [illegible] प्रस्तुत नहीं करने से, जवाब प्रा.पत्र बन्द किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.02.17 16:00:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक ... (फास्ट ट्रैक) ... पाली)

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा हस्तगत प्रकरण के सम्यक् न्याय निर्णयन में मार्गदर्शन प्राप्त किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार हैः–

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः–** पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में वाद बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर दौराने वाद विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की है। पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी संवत् 2069–2072 ग्राम आगेवा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 230 खसरा संख्या 94 रकबा 23 बीघा 05 बिस्वा, खाता संख्या 24 खसरा संख्या 108 रकबा 18 बीघा, खाता संख्या 340 खसरा संख्या 285 रकबा 08 बीघा 06 बिस्वा, खाता संख्या 341 खसरा संख्या 110 रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा, खाता संख्या 405 खसरा संख्या 120 रकबा 12 बीघा, खाता संख्या 406 खसरा संख्या 105 रकबा 03 बीघा 18 बिस्वा सभी बारानी दोयम संयुक्त खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण/सायलान ने यह कथन किया है कि गैरसायल भंवरपुरी व सुरेशपुरी, छोटीदेवी व चंचल बिना कृषि भूमि का कानूनी बंटवाडा कराये बाले–बाले वादग्रस्त कृषि भूमि का बेचान अन्य व्यक्तियों को करने पर आमादा है। अप्रार्थीगण को अनेकानेक अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब प्रार्थना–पत्र पेश नहीं किया। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि संयुक्त सामलाती आराजी में प्रत्येक सह–खातेदार का भूमि के प्रत्येक हिस्से पर समान हक–अधिकार निहित होता है। एक सह–खातेदार द्वारा सामलाती आराजी के विशिष्ट भू–भाग के हस्तांतरण से अन्य सह–खातेदारों के हित निश्चित ही प्रभावित होंगे। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।
2. **सुविधा का संतुलनः–** चुंकि प्रथम बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है साथ ही सामलाती आराजी में प्रत्येक सह–खातेदार का अपने हक–हिस्से तक सुविधा का संतुलन निहित होता है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।
3. **अपूरणीय क्षतिः–** चुंकि प्रथम दोनों बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुए है साथ ही यदि गैरसायलान के द्वारा सामलाती आराजी के विशिष्ट भू–भाग का हस्तांतरण किया जाता है तो निश्चित ही प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जबकि सामलाती, संयुक्त आराजी के प्रत्येक हिस्से पर प्रत्येक सह–खातेदार का समान हक–अधिकार निहित होता है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.02.17 16:00:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
( फास्ट ट्रेक ) जैतारण ( पाली )

अतः उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विन्रम अभिमत है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र बखूबी साबित होने से आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर उभयपक्षकारान यथा सायलान एवं गैरसायल संख्या 1 से 4 को वादग्रस्त आराजी के विशिष्ट भू–भाग का रहन, बेचान व हस्तान्तरण न किये जाने हेतु पाबन्द किया जाना विधि–संगत एवं उचित समझते है।

**–:: आदेश ::–**

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर उभयपक्षकारान यथा सायलान एवं गैरसायल संख्या 1 से 4 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी राजस्व मौजा आगेवा पटवार हल्का आगेवा भू अभिलेख क्षैत्र आगेवा तहसील–जैतारण जिला–पाली (राजस्थान) में स्थित खाता संख्या 230 खसरा संख्या 94 रकबा 23 बीघा 05 बिस्वा, खाता संख्या 24 खसरा संख्या 108 रकबा 18 बीघा, खाता संख्या 340 खसरा संख्या 285 रकबा 08 बीघा 06 बिस्वा, खाता संख्या 341 खसरा संख्या 110 रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा, खाता संख्या 405 खसरा संख्या 120 रकबा 12 बीघा, खाता संख्या 406 खसरा संख्या 105 रकबा 03 बीघा 18 बिस्वा सभी बारानी दोयम के विशिष्ट भू–भाग का रहन, बेचान व हस्तान्तरण नहीं करे। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज.

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

निर्णय आज दिनॉक 26/08/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.02.17 16:00:37 IST
Reason: SelfAttested